न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 133/2022
कर्मपाल पुत्र सुमेर सिंह नवीरा प्रहलाद, जाति जाट, निवासी सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)

---आवेदकगण

बनाम

1. श्री संदीप चौधरी, आर0ए0एस0 हाल उपखण्ड अधिकारी, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)
2. परमेश्वरी पुत्री प्रहलाद पत्नि विघाधर, जाति जाट, निवासी सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं हाल निवासी बिरोल, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं (राज0)
3. सुमन पत्नि सुरेश कुमार, जाति जाट, निवासी सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)
4. सुमन पत्नि प्रदीप कुमार, जाति जाट, निवासी सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)
5. सरिता पत्नि संजय, जाति जाट, निवासी सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)
6. प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)
7. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयक कार्यालय, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)
18. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)

--- अनावेदकगण

— — —

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण अ0 धारा 235 आर0टी0 एक्ट 1955 बाबत दावा संख्या 17/2021 उनवानी परमेश्वरी बनाम कर्मपाल वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा, तारीख पेशी 20.04.2022

— — —

उपस्थितः—

1. श्री संदीप बिजारणिया, अभिभाषक— आवेदकगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री विजयपाल, अभिभाषक— अनावेदकगण सं0 3, 4, 5 की ओर से उपस्थित।
3. श्री होशियार सिंह, अभिभाषक— अनावेदक संख्या 2 की ओर से उपस्थित नही।
4. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— अनावेदक सं0 1, 7 व 8 की ओर से उपस्थित।
5. अप्रार्थीगण सं0 6 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 16.11.2022

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न है कि दावा उनवानी परमेश्वरी बनाम कर्मपाल वगैरह मु0न0 17/2021 तारीख पेशी 20.04.2022 श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी चिडावा की अदालत मे लम्बित है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण मे दावा पेश होने की दिनांक 16.02.2021 के बाद कम समयावधि की तारीख पेशी वादिया के कहे अनुसार दी जा रही है। उपरोक्त प्रकरण की बाबत आवेदक द्वारा नियमित तारीख पेशी अन्य प्रकरणों के साथ आवेदक को सुनवाई के लिए समुचित अवसर दिये जाने के लिए तारीख पेशी का निवेदन किये जाने पर उपरोक्त उनवानी प्रकरण मे तारीख पेशी नही दी जा रही है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 16.02.2021 के बाद वादिया के कहने के अनुसार आगामी पेशी कमशः 18.03.2021, 15.04.2021, 04.05.2021 दी गई। उसके पश्चात् कोवडि—19 महामारी के कारण लॉकडाउन होने से आगामी पेशी दिनांक 22.07.2021 दी गई। उक्त पेशी के पश्चात् आगामी पेशी कमशः 03.08.2021, 10.08.2021, 16.08.2021, 26.08.2021, 03.09.2021, 04.10.2021, 11.11.2021, 23.12.2021, 24.01.2022, 01.02.2022, 15.02.2022, 18.02.

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

2022, 10.03.2022, 21.03.2022, 31.03.2022, 06.04.2022, 11.04.2022, 20.04.2022 दिवस बाद की तारीख पेशी आवेदक के वकील को पैरवी हेतु दी गई। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अन्य प्रकरणों की पैरवी के साथ आवेदक के प्रकरण मे छोटी–छोटी तारीख पेशी नियत किये जाने के कारण पैरवी करना संभव नही होना आवेंदक को कथित किया है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण बाबत प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तिम रूप से वादिया के हक मे निर्णित हो चुका है। वादिया द्वारा कोर्ट परिसर मे आवेदक को दिनांक 11.04.2022 को न्यायालय परिसर मे तारीख पेशी के रोज पीठासीन अधिकारी के चैम्बर के बाहर खुले तौर पर ऐलानियां धमकी दी कि पीठासीन अधिकारी से मेरी बात हो चुकी है व मेरी रराजनैतिक पहुंच है। उक्त प्रकरण मे मैं मेरे हक मे फैसला करवाउंगी। आवेदक ने भी कई बार वादिया को प्रकरण मे तारीख पेशी के रोज पीठासीन अधिकारी के चैम्बर मे आते–जाते देखा है। आवेदक को पीठासीन अधिकारी से प्रकरण मे न्याय की उम्मीद नही है। इस कारण आवेदक द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः दरख्वास्त स्थानान्तरण मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा उनवानी परमेश्वरी बनाम कर्मपाल वगैरह मु0न0 17/2021 तारीख पेशी 20.04.2022 श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी चिडावा को नियमित सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं की अदालत मे स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी चिडावा से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी चिडावा ने पत्रांक 451 दिनांक 10.06.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बिन्दूवार अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र का बिन्दू सं0 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के बिन्दू संख्या 2 मे वर्णित तथ्य मनगढन्त होने से अस्वीकार है शेष प्रश्न मे न्यायालय मे समस्त प्रकरणों मे ही समयावधि मे तारीख पेशी दी जाती है। बिन्दू सं0 3 मे वर्णित तथ्य मनगढन्त होने से अस्वीकार है। शेष प्रश्न मे न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण मे 15 या 30 दिन की तारीखें दी जा रही है जिससे प्रकरण मे आगामी कार्यवाही की जा सके। लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण की कार्यवाही को डिले/देरी करने के लिए कोई कार्यवाही नही करना चाहते है। बिन्दू सं0 4 मे वर्णित तथ्य गलत व झूठे, निराधार होने से अस्वीकार है जिसमे प्रार्थी प्रकरण मे आगामी कार्यवाही नही करना चाहता है। बिन्दू सं0 5 कानूनी है, जबाब की आवश्यकता नही है। यह कि आवेदक उनवानी वाद पत्र का स्थानान्तरण अन्यत्र न्यायालय मे करवाना चाहता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण मे दावा पेश होने की दिनांक 16.02.2021 के बाद कम समयावधि की तारीख पेशी वादिया के कहे अनुसार दी जा रही है। उपरोक्त प्रकरण की बाबत आवेदक द्वारा नियमित तारीख पेशी अन्य प्रकरणों के साथ आवेदक को सुनवाई के लिए समुचित अवसर दिये जाने के लिए तारीख पेशी का निवेदन किये जाने पर उपरोक्त उनवानी प्रकरण मे तारीख पेशी नही दी जा रही है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 16.02.2021 के बाद वादिया के कहने के अनुसार आगामी पेशी कमशः 18.03.2021, 15.04.2021, 04.05.2021 दी गई। उसके पश्चात् कोवडि–19 महामारी के कारण लॉकडाउन होने से आगामी पेशी दिनांक 22.07.2021 दी गई। उक्त पेशी के पश्चात् आगामी पेशी कमशः 03.08.2021, 10.08.2021, 16.08.2021, 26.08.2021, 03.09.2021, 04.10.2021, 11.11.2021, 23.12.2021, 24.01.2022, 01.02.2022, 15.02.2022, 18.02.2022, 10.03.2022, 21.03.2022, 31.03.2022, 06.04.2022, 11.04.2022, 20.04.2022 दिवस बाद की तारीख पेशी आवेदक के वकील को पैरवी हेतु दी गई। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अन्य प्रकरणों की पैरवी के साथ आवेदक के प्रकरण मे छोटी–छोटी तारीख पेशी नियत किये जाने के

जिला कलक्टर झुन्झुनू

कारण पैरवी करना संभव नही होना आवेदक को कथित किया है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण बाबत प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तिम रूप से वादिया के हक मे निर्णित हो चुका है। वादिया द्वारा कोर्ट परिसर मे आवेदक को दिनांक 11.04.2022 को न्यायालय परिसर मे तारीख पेशी के रोज पीठासीन अधिकारी के चैम्बर के बाहर खुले तौर पर ऐलानियां धमकी दी कि पीठासीन अधिकारी से मेरी बात हो चुकी है व मेरी रराजनैतिक पहुंच है। उक्त प्रकरण मे मैं मेरे हक मे फैसला करवाउंगी। आवेदक ने भी कई बार वादिया को प्रकरण मे तारीख पेशी के रोज पीठासीन अधिकारी के चैम्बर मे आते–जाते देखा है। आवेदक को पीठासीन अधिकारी से प्रकरण मे न्याय की उम्मीद नही है। इस कारण आवेदक द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा उनवानी परमेश्वरी बनाम कर्मपाल वगैरह मु0न0 17/2021 तारीख पेशी 20.04.2022 श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी चिडावा को नियमित सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं की अदालत मे स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जावे।

वकील अप्रार्थी सं0 2 व अप्राथी सं0 6 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्राथी सं0 2 व 6 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अप्रार्थी सं0 3, 4 व 5 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वकील प्रार्थी साबित करें कि उन्हे किस प्रकार अदालत मातहत उपपखण्ड अधिकारी, चिडावा से न्याय प्राप्त नही होगा। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे मिथ्या आरोप लगाये हैं। यदि प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा धमकी दी गई है तो पुलिस थाने मे शिकायत दर्ज करवाते। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1, 7 व 8 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा द्वारा किसी प्रकार कोई भेदभाव व पक्षपात नही किया गया। उपखण्ड अधिकारी, चिडावा का किसी राजनैतिक व पार्टी से कोई संबंध सरोकार एवं दबाव नही है। उपखण्ड अधिकारी, चिडावा प्रकरण मे निष्पक्ष होकर न्यायसंगत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर निर्णय करते है। प्रार्थना पत्र कतई बेबुनियाद, आधारहीन होने से स्वीकार नही है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य कतई गलत दर्ज किये है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने की कृपा करे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी, चिडावा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा मे विचाराधीन दावा संख्या 17/2021 उनवानी परमेश्वरी बनाम कर्मपाल वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा का स्थानान्तरण अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित करने हेतु कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नही बता पाये। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनू